

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा  
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**

आ (एसएस).अ.सं. 50 से 53/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2009-10 से 2012-13

आ (एसएस).अ.सं. 66 से 68/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2013-14 से 2015-16

शांति सीड प्रा.लि, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएसीसीएस 1447 सी		

आ (एसएस).अ.सं. 54 से 57/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2013-14

आ (एसएस).अ.सं. 81 तथा 82/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2014-15 तथा 2015-16

शांतिनाथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एबीटीएफएस 0136 पी		

आ (एसएस).अ.सं. 58 से 62/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2009-10 से 2013-14

आ (एसएस).अ.सं. 87 तथा 88/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2014-15 तथा 2015-16

आदिनाथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएक्यूएफए 5785 क्यू		

आ (एसएस).अ.सं. 73 से 79/इंदौर/2018  
निर्धारण वर्ष : 2009-10 से 2015-16

शांति एगो सेल्स, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एबीएचएफएस 2380 एम		

आ (एसएस).अ.सं. 47 से 49, 80, 69 से 71/इंदौर/2018  
निर्धारण वर्ष : 2009-10 से 2015-16

श्री पुनीत जैन, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एडीएलपीजे 7996 सी		

आ (एसएस).अ.सं. 63 से 65/इंदौर/2018  
निर्धारण वर्ष : 2009-10 से 2011-12  
आ (एसएस).अ.सं. 83 से 86/इंदौर/2018  
निर्धारण वर्ष : 2012-13 से 2015-16

श्री अशोक कुमार जैन, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएसपीजे 4615 एन		

आ(एसएस).अ.सं. 208/इंदौर /2017  
निर्धारण वर्ष : 2011-12

श्रीमती आशा जैन, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एडीबीपीजे 4906 ई		

आ. अ. सं. 565 /इंदौर/ 2017

निर्धारण वर्ष : 2015-16

मे. शांतिनाथ सेल्स, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेन्ट्रल-1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीएमएफएस 4367 डी		

अपीलार्थी की ओर से :	सर्वश्री महेश अग्रवाल तथा कुणाल अग्रवाल, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री एस.एस. मंत्री, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि :	09.03.2021
उद्घोषणा तिथि :	10.03.2021

### आदेश

#### न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के लिए अलग-अलग निर्धारितियों द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल के अलग-अलग आदेशों दिनांक 23.02.2018, 12.03.2018, 13.03.2018, 13.06.2017 तथा 16.06.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं। पूर्व में ये अपीले अधिकरण द्वारा अभियोजन नहीं किए जाने के कारण खारिज की गई थी। तत्पश्चात विविध आवेदन सं. 106 से 148/इंदौर/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2020 के द्वारा ये अपीलें पुनः सुनवाई हेतु बुलाई गई।

2. इस अपीलों की सुनवाई के दौरान निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारितियों को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से

परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किये थे । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारितियों को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किये थे जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । ये अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने तथा निर्धारण अधिकारी से प्रतिप्रेषण रिपोर्ट (Remand Report) मंगवाने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करके सकारण आदेश पारित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं । निर्धारितियों को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने तथा अनावश्यक स्थगन नहीं मांगकर सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 10.03.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है ।

हस्ता/-  
(कुल भारत)  
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-  
(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 10.03.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल